

पर्चा डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर  
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 383/2024

अनवान :

1. जगदीश पुत्र देवीलाल जाति नायक निवासी पन्नीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

- रणजीतसिंह पुत्र श्योकरण जाति नायक निवासी पन्नीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- राजरानी पुत्री श्योकरण पत्नी पूर्णचन्द जाति नायक निवासी बेंटाबाद, गिदडबाह तहसील गिदडबाह जिला श्रीमुक्तसर साहिब पंजाब।
- तारारानी पुत्री श्योकरण पत्नी हीरालाल जाति नायक निवासी बेंटाबाद, गिदडबाह तहसील गिदडबाह जिला श्रीमुक्तसर साहिब पंजाब।


प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा  
88 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति:- 1 अधिवक्ता श्री परमजीतसिंह :- वादी  
2 अधिवक्ता श्री अरविन्द नैण :- प्रतिवादीगण  
डिक्री दिनांक 16/01/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री परमजीतसिंह व अरविन्द नैण अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं० 28 एन.जी.सी. के संयुक्त खाता के खाता सं० 49/4 में कुल 2.782 है० आराजी में से कस्तूरी पुत्री चेतन के नाम की 63/1391 हिस्सा आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं० 28 एन.जी.सी. के खाता सं० 49/4 में से कस्तूरी पुत्री चेतन का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/01/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर (सत्यनारायण R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी